राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प.18(36)नविवि / NAHP / 2014पार्ट जयपुर, दिनांक 28 FEB 2018

संशोधन पत्र

विषयः–मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बाबत्।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बाबत् दिनांक 20.02.2018 को जारी आदेश के बिन्दु संख्या–1 को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:–

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के प्रावधान–1A में 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी श्रेणी हेतू वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

मुख्यमंत्री जन आवास योजना–2015 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. क्षेत्र का शुल्क राशि रु. 100 / – प्रति वर्गफीट लिये जाने का प्रावधान है। 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल बी.ए.आर. क्षेत्र का 5 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) क्षेत्र पर राशि रु 100 / – प्रति वर्गफीट के हिसाब से लिया जावें।

अथवा

विकासकर्ता यदि चाहे तो 5 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) ई.डब्ल्यू.एस / एल.आई.जी श्रेणी हेतु निर्मित कर सकता है। उक्त स्वीकृत किये जाने वाले बी.ए.आर. की एवज में प्रोत्साहन स्वरूप 0.75 बी.ए.आर. निःशुल्क स्टैण्डर्ड बी.ए.आर. के अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जाता है, जैसा की एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम संख्या 8.2.1 (य)(xii & xiii) में वर्णित है। ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. श्रेणी हेतु निर्मित आवास पॉलिसी में निर्धारित आवंटन दर पर नियमानुसार आवंटन किये जावेगें।

27/2/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. कमिश्नर, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर।
5. कमिश्नर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. सलाहकार (टी.पी.), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. प्रोजेक्ट डायरेक्टर (हाउसिंग), RUDSICO, जवाहर नगर, जयपुर।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
12. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
15. रक्षित पत्रावली।

27/2/18

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम